



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 61) पटना, बृहस्पतिवार, 17 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

17 जनवरी 2019

एस० ओ० 16, दिनांक 17 जनवरी 2019—बिहार गजट (असाधारण अंक) में एस. ओ. 278, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 24/2018—राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में,—

- कंडिका (घ), अनुसूची III-9% में,— क्रम सं० (v) में, "383क" के स्थान पर "383" पढ़ा जाये ;
[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 249)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 जनवरी 2019

एस० ओ० 16 दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 249)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th January 2019

S.O. 16, Dated 17th January 2019— In the Notification No. 24/2018 State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide S.O. 278, dated 31st December, 2018-

1. In para (D), in Schedule III-9% - in S. No.(v), for “383A”, read “383”;

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4) 249)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 61-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode